<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
कौशल्या देवी बनाम एवन बिल्ड होम एल.एल.पी.
अपील संख्या 932/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00917)</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>31.03.23</td><td>अपीलार्थीगण की ओर से श्री आशीष मीनोचा एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनावाई एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपीलार्थीगण स्वयं भी उपस्थित जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री आशीष मीनोचा द्वारा एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री मनीष पारीक द्वारा की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन अपील के अन्तर्गत पक्षकारों के मध्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आपसी समझाईश से आपसी समझोता हो गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण उक्त उनवानी अपील को विड्रो करते हुए आगे नही चलाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने स्वीकार करते हुए अपील को विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए अपील को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते तथा अपीलार्थीगण स्वयं ही अपील को विड्रो करना चाह रहे है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील को विड्रो किये जाने से अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

31/3/23
(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।</td><td></td></tr>
</table>